

छुट्टी यात्रा रियायत के लिए आवेदन
APPLICATION FOR LTC ADVANCE

1.	सरकारी सेवक का नाम Name of the Government Servant	:	
2.	पद Designation	:	
3.	विभाग में नियुक्ति का दिनांक Date of entering the Department		
4.	वेतन Pay		
5.	स्थायी / अस्थायी Whether Permanent/Temporary		
a.	छुट्टी की किस्म एवं अवधि Nature and period of leave	अर्जित अवकाश दिनांक से तक E.L.from to	
6.	सेवा पुस्तिका में दर्ज गृह नगर Home town as recorded in SB		
7.	क्या पत्नी/पति सेवारत है एवं यदि है तो क्या वह छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने के योग्य हैं । Whether wife/husband is employed and if so whether entitled to LTC		
8.	क्या छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग गृह नगर जाने हेतु किया जाना है यदि ऐसा है तो वर्ष खंड जिसके लिए छु.या.रि. लिया जाएगा Whether the concession is to be availed for visiting Home Town and if so block for which LTC is to be availed :		
9.	(अ) यदि रियायत का उपयोग "भारत में किसी भी स्थान" की यात्रा के लिए है तो स्थान जहां की यात्रा करना है । (a)If the concession is to visit "anywhere in India" the place to be visited :		
	(ब) खंड जिसके लिए रियायत का उपयोग करना है । (b)Block for which to be availed :		
10.	मुख्यालय से गृह नगर अथवा दर्शन स्थल का निकटतम दूरी से एक तरफ का रेलभाड़ा /बस किराया । Single railfare/bus fare from the hqrs.to home town/place of visit by shortest route :		
11.	जिन व्यक्तियों के संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत लिया जाना प्रस्तावित है । Persons in respect of whom LTC is proposed to be availed:		

क्र.सं. Sl.No.	नाम एवं आयु (सर्वश्री/श्रीमति/कु.) Name&Age(S/Shri/Smt./Kum)	बन्धुता Relationship

12. वांछित अग्रिम राशि : रू. का 90 %
Amount of Advance required : 90 % of Rs.

घोषणा DECLARATION

मैं घोषित करता हूँ कि मेरी अच्छी जानकारी से उपर्युक्त दिया गया विवरण सत्य एवं सही है। मैं वचन देता हूँ कि अग्रिम राशि प्राप्त करने के दस दिनों के अन्दर जावक यात्रा के लिए टिकट प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
I declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge. I undertake to produce the tickets for the outward journey within ten days of receipt of the advance.

मैं वचन देता हूँ कि यात्रा रद्द होने अथवा अग्रिम राशि प्राप्त होने के दस दिनों के अन्दर टिकट प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, मैं समस्त अग्रिम की राशि को एक मुश्त में वापस करूँगा/करूँगी।
In the event of cancellation of the journey or if I fail to produce the tickets within ten days of receipt of advance, I undertake to refund the entire advance in one lump sum.

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर
Signature of the Govt.
Servant